## उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ

विज्ञापन संख्याः 25- परीक्षा / 2016

# सम्मिलित कम्प्यूटर औपरेटर (सामान्य चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2016

आंनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ होने की तिथि -14.12.2016 ऑनलाइन शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि – 16.12.2016 परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि – 02.01.2017 ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि – 04.01.2017

आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि – 06.01.2017

आयोग के विज्ञापन संख्या:-25-परीक्षा/2016 के अंतर्गत कम्प्यूटर ऑपरेटर (सामान्य चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2016 द्वारा प्रदेश के विभिन्न विभागों में रिक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर वेतन बैंड- रू०5200-20200/- ग्रेड पे- 2400/- कुल 64 पदों जिनका विभागवार व आरक्षित श्रेणीवार विवरण आगे बिन्दु-7 की सारणी-1 में दिया गया है, के सापेक्ष चयन हेतु, भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त समस्त रिक्त पदों के लिए अभ्यर्थी को केवल एक ही आवेदन सबमिट (SUBMIT) करना है।

### विशेष सूचना

परीक्षा शुल्क का भुगतान रिजिस्ट्रेशन होने के अगले कार्य दिवस को या उसके बाद किया जा सकता है। बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा शुल्क जमा करने एवं आवेदन सबमिट करने की दशा में ही उसका आवेदन पूर्ण होगा। यदि निर्धारित अंतिम तिथि के बाद बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं होगा, उसे निरस्त माना जाएगा। जमा शुल्क किसी भी दशा में किसी अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन सबमिट (SUBMIT) करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। कृपया एक रिजिस्ट्रेशन नंबर पर एक बार से अधिक फीस का भुगतान न करें।

2- ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई प्रमाण पत्र / अंक तालिका आदि प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है।

# आंतलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना -

इस विज्ञापत के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति (online application system) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें ।

'ऑनलाइन आवेदन'' करने के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित निर्देशों को भली- भांति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें। आयोग की वैबसाइट http://upsssc.gov.in पर "ऑल नोटीफिकेशन / एडवरटिजमेंट डिटेल्स" (all notification / advertisement details) अभ्यर्थी द्वारा क्लिक करने पर ऑनलाइन एडवरटिजमेंट स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं :-

- 1- यूजर इन्सट्रक्शन (user instruction)
- 2- व्यू एडवरटिजमेंट (view advertisement)
- 3- अप्लाई (apply)

युजर इन्सटुक्शन (user instruction)- में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबन्धित दिशा-निर्देश दिये गए हैं। इसके बाद अभ्यर्थी व्यू एडवरटिजमेंट (view advertisement) को क्लिक करें। ऐसा करने पर पूरा विज्ञापन प्रदर्शित होगा। आवेदन हेतु अप्लाई (apply) पर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जाएगा:-

प्रथम स्तर - अप्लाई क्लिक करने पर परिशिष्ट -1 में परीक्षा के सामेक्ष कैंडीडेट रजिस्ट्रेशन (candidate registration) क्लिक करने पर अभ्यर्थी का बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म (परिशिष्ट -2) प्रदर्शित होगा।

फॉर्म भरने के पश्चात सबिमेट (Submit) बटन पर क्लिक करने से प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जाएगा। तत्पश्चात (कैंडीडेट रिजस्ट्रेशन एकनोलेजमेंट) (परिशिष्ट -3) प्रदर्शित होगा, जिसे प्रिंट पर क्लिक करके मुद्रित किया जा सकेगा।

दितीय स्तर - परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु वेबसाइट पर दिये गए लिंक को क्लिक करें, शर्तों को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। इसके बाद स्टेट बैंक कलेक्ट पर जाकर ई-चालान या ऑनलाइन माध्यमों (इंटरनेट बैंकिंग / कार्ड्स) से परीक्षा शुल्क जमा किया जा सकता है। कैटेगरी का चयन करें, रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्मतिथि (dd/mm/yyyy के रूप में) भरें एवं सबमिट करें। स्क्रीन पर भरी हुई सभी प्रविष्टियाँ सत्यापित करें एवं सत्यापित प्रविष्टियौ भरें एवं सबमिट करें। इन्हें पुनः सत्यापित कर कन्फ्रर्म करें। अब पेमेंट ऑप्शन्स स्क्रीन पर दिखाई देंगे। इनमें से भ्गतान का माध्यम चयन करें। SBI इंटरनेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड /क्रेडिट कार्ड /अदर बैंक इंटरनेट बैंकिंग, अथवा SBI की किसी शाखा में नकद भुगतान के लिए ई-चालान के लिए SBI ब्रांच का चयन करें। ई-चालान भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा पर जमा किया जा सकता है। यदि ऑनलाइन भुगतान का चयन किया गया है तो स्क्रीन पर दिये गए निर्देशों के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया सम्पन्न होगी। ई-चालान के साथ भारतीय स्टेट बैंक की, जिले की, किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित धनराशि (ई-चालान में मुद्रित होगी) जमा करके भुगतान की प्रक्रिया सम्पन्न करने के पश्चात विभाग की बैबसाइट पर प्रिंट ई-रिसीप्ट के आप्शन का चयन करते हुए ई-रिसीप्ट का प्रिंट आउट प्राप्त कर लें। ई-चालान की एक प्रति बैंक से प्राप्त कर लें तथा इसे अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। बैंक द्वारा अभ्यर्थी को बापस की गयी ई-चालान की प्रति में बैंक द्वारा ट्रांजेक्सन आई. डी / जरनल नंबर (डीयू......) छपी हुई होगी जिसका उपयोग तृतीय स्तर पर आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थी को करना होगा। ऑनलाइन शुल्क जमा करते समय स्क्रीन पर (डीयू......) ट्रांजेक्शन नंबर दिखाया जाएगा जिससे ई-रिसीप्ट का प्रिंट भी लिया जा सकता है।

तृतीय स्तर- बैंक में शुल्क जमा करने के दिनांक के बाद दो दिन छोड़कर अग्रेतर कार्य दिवस में (अपरान्ह 2 बजे के पश्चात) अभ्यर्थी को आयोग की वैबसाइट पर प्रदर्शित सबमिट एप्सिकेशन फार्म बटन को क्लिक करने

पर प्रदर्शित फ़ार्मेट में ऑनलाइन सूचनाएँ भरनी होगी तथा फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। उसका नमुना परिशिष्ठ -6 पर है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है की वे अपने हाल के नवीनतम, आवक्ष तक के रंगीन फोटोग्राफ सफ़ेद पृष्ठभूमि के साथ तथा नमूना हस्ताक्षर की स्कैनिंग करके प्रविष्ट (upload) करेंगे। । फोटोग्राफ,(\*.jpe,\*.jpeg,\*.jpg) के प्रारूप पर होगा जिसका आकार 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी काली स्याही से हस्ताक्षर करके उसको स्कैन करेंगे। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता तो ऑनलाइन आवेदन, सिस्टम पर स्वीकार नहीं होगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया (परिशिष्ट-7) में दी गई है। अभ्यर्थी फोटो अपलोड करने के उपरांत वेरिफिकेशन कोड डालकर जब सबमिट करेगा तो आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियाँ अंकित करने के बाद "व्यू एप्लीकेशन फार्म" को क्लिक करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनाएँ सही-सही भरी गयी है और पूरी तरह से संतृष्ट होने के बाद ऑनलाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेत् "सबमिट" बटन को क्लिक करें,अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनाएं सही- सही निर्देशानुसार ऑनलाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक सबमिट बटन को क्लिक करना आवश्यक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा सबमिट बटन को क्लिक नहीं किया जाएगा तो आवेदन सबमिट नहीं होगा। इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। "सबसिट" बटन को क्लिक करने के पश्चात आवेदन का प्रिंटआउट परिशिष्ट-7ए. लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सरक्षित रखें । अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन करते समय पुरी सावधानी बरतें। चुकि किसी विसंगति के लिए आयोग जिम्मेदार न होगा।

नोट- अभ्यर्थी कृपया ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्तर का अनुपालन सुनिश्चित कर लें। यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के बाद तृतीय स्तर में दी गयी प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता है और उसके अंतर्गत अंतिम रूप से अपना आवेदन सबिमट नहीं करता है तो आवेदन की प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। अभ्यर्थी के अंतिम रूप से आवेदन सबिमट न करने की दशा में उनका आवेदन अपूर्ण रह जाएगा और उसके लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

- 3- एक बार आवेदन "सबमिट" करने के पश्चात उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- 4- आवेदन शुल्क ऑनलाइन आवेदन के कैंडिडेट रिजस्ट्रेशन का प्रारूप भरने के बाद उपरिवर्णित विधि से परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। स्टेट बैंक ई- कलेक्ट के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से जमा शुल्क स्वीकार नहीं होगा। आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है:-

क्र॰ सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क	ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क	(आवेदन शुल्क + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क) योग
(1)	अनारक्षित (सामान्य)	160.00	25.00	185.00
(2)	अन्य पिछड़ा वर्ग	160.00	25.00	185,00
(3)	अनुसूचित जाति	70.00	25.00	95.00
(4)	अनुसूचित जनजाति	70.00	25.00	95:00
(5)	विकलांगजन		25,00	25,00

नोट- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों, एवं महिला अभ्यर्थियों को क्रमांक-1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा।

5- अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त चयनों / परीक्षाओं से डिबार करने की कार्यवाही तथा अन्य दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। 6- सबिमट किये गए आवेदन में यदि अभ्यर्थी कोई संशोधन करना चाहते हैं तो निर्धारित अंतिम तिथि तक वे दूसरा आवेदन (सेकंड रिजिस्ट्रेशन) संशोधित सूचना के साथ, पुनः आवेदन शुल्क जमा करके ऑनलाइन सबिमट कर सकते हैं। पहले आवेदन में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा और उसका समायोजन अन्य आवेदन में भी नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा उक्त पदों के लिए एक से अधिक आवेदन "सबिमट" करने की दशा में अंतिम आवेदन ही स्वीकार होगा, शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे।

7- विभिन्न विभागों में कम्प्यूटर ऑपरेटर के 64 पदों का श्रेणीवार विवरण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर निम्नवत है:-

### सारणी-1

क्र० संo	विभागका नाम	आयु सीमा (वर्षों में)	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल पद	अभ्युक्ति
1-	निदेशक प्रविधिकी शिक्षा, उ०प्र०,कानपुर। (राजकीय पॉलीटेक्रिक) संस्थान हेतु ।	21-40	12	05	00	05	22	अस्थायी
2-	कसिश्वर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ,लखनऊ (कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए) ।	21-40	00	16	03	16	35	स्थायी
3-	निदेशक विकलांगजन, विकास,उ०प्र०,लखनऊ।	21-40	01	00	00	00	01	अस्थायी
4-	निदेशक प्रबन्ध एवं बजट निदेशालय ,विधान भवन ,लखनऊ।	18-40	02	01	00	01	04	स्थायी
5-	निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उ० प्र०जवाहर भवन, लखनऊ।	18-40	01	00	00	01	02	स्थायी
	कुल योग		16	22	03	23	64	

### विभागवार क्षैतिज आरक्षण

उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित विभागों में विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये क्षैतिज आरक्षण का समेकित विवरण निम्नवत है:-

### सारणी-2

विभाग का नाम	पदनाम	क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी पदों की संख्या
निदेशक प्रविधिकी शिक्षा,उ०प्र०,कानपुर।	कम्प्यूटर ऑपरेटर	(i)- भूतपूर्व सैनिक 01 (ii)- महिला 04
कमिश्वर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश,लखनऊ।		(i)- विकलांगजन 01 (ii)- भूतपूर्व सैनिक 01
		(III)- महिला

नोट- उपर्युक्त सभी विभागों में रिक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर पद के लिए केवल एक ही आवेदन करना है।

### <u>टिप्पणी</u>

- (1)- उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित पदों के सापेक्ष आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी, जो दिनांक: 1 जुलाई 2016 को बिन्दु-10 में बिहित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं और आगे बिन्दु-8 में पद हेतु विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- (2)- विकलांगजनों (केवल चिन्हित पदों पर), महिलाओं, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों तथा भूतपूर्व सैनिकों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक शासनादेशों में विहित नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
- (3)- उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण संबंधी नवीनतम अधिनियमों / शासनादेशों में निर्धारित अध्यादेशों/ नीति निर्देशों के अनुरूप आरक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
- (4)- उपर्युक्त सारणी-1 व 2 में श्रेणीवार पदों की संख्या संबन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए आरक्षित श्रेणीवार रिक्त पदों की सूचना पर आधारित है।
- (5)- रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है।
- 8- अनिवार्य अर्हता(शैक्षिक):- उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित विभिन्न विभागों में क्रम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर भर्ती हेतु विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता निम्नलिखित है :-

### सारणी-3

पद क्रमांक	विभागका नाम	पद नाम	अनिवार्य अर्हता/ अधिमानी अर्हता
1-	निदेशक प्रविधिकी शिक्षा, उ०प्र०,कानपुर।	कम्प्यूटर आपरेटर (राजकीय पॉलीटेक्निक) संस्थान हेतु।	(1) मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा के साथ इंटरमीडिएट या डी०ओ०ई० से "ओ"-स्तर के प्रमाण पत्र के साथ इंटरमीडिएट। (2) डॉस / यूनिक्स विंडोस के अंतर्गत कार्यरत वातावरण में एम०एस० ऑफिस / लोटस / स्मार्ट सूट आदि जैसे भिन्न-भिन्न सॉफ्टवेयरों पर अँग्रेजी एवं हिन्दी में डाटा इंट्री का अच्छा ज्ञान। (3) नोवल और विंडो एंट्री जैसे नेटवर्किंग। (4) हिन्दी तथा अँग्रेजी में कम से कम क्रमशः 25 तथा 40 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति।
2-	कमिश्चर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश, सखनऊ ।	कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड-ए) ।	(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० की इंटरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिये। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा; या इलेक्ट्रानिक्स विभाग (डी०ओ०ई०), भारत सरकार से 'ओ' लेवल प्रमाण पत्र। (3) डास / यूनिक्स / विंडोज एन्यायरोन्मेन्ट में एम०एस० आफिस / लोटस / स्मार्ट सूट आदि जैसे विभिन्न साफ्टवेयरों पर अँग्रेजी और हिन्दी में डाटा इंट्री का अच्छा ज्ञान और किसी अन्य नेटवर्किंग आपरेटिव प्रणाली के एन्यायरोन्मेन्ट (कार्य परिवेश) से सुपरिचित होना। (4) हिन्दी तथा अँग्रेजी में कम से कम क्रमशः 25 तथा 40 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम टंकण गति होना आवश्यक है।
3-	निदेशक विकलांगजन, विकास,उ०प्र०,लखनऊ।	कम्प्यूटर आपरेटर	(1) कम्प्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा के साथ इंटरमीडिएट अथवा डी०ओ०ई०ए०सी०सी० से "ओ" स्तर के प्रमाण पत्र के साथ इंटरमीडिएट।

4-	निदेशक प्रबन्ध एवं बजट निदेशालय, विधान भवन ,लखनऊ ।	कम्प्यूटर आपरेटर	(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० की इंटरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिये। (2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता या भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक्स विभाग से 'ओ' स्तर का प्रमाण पत्र। (3) डास / यूनिक्स / विंडोज एन्वायरोन्मेन्ट में एम०एस० आफिस / लोटस / स्मार्ट सूट आदि जैसे भिन्न-भिन्न साफ्टवेयरों पर अँग्रेजी और हिन्दी में डाटा इंट्री का अच्छा ज्ञान। (4) नोवल और विंडोज एन टी जैसे नेटवर्किंग प्लेटफार्म्स की जानकारी (एक्सपोजर)। (5) हिन्दी तथा अँग्रेजी में कम से कम क्रमशः 25 तथा 40 शब्द प्रति मिनट कम्प्यूटर टंकण गति रखता हो।
5-	निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उ० प्र०जवाहर भवन, लखनऊ।	कम्प्यूटर आपरेटर	(1) मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा के साथ इंटरमीडिएट या डी०ओ०ई० से "ओ"-स्तर के प्रमाण पत्र के साथ इंटरमीडियट। (2) डॉस / यूनिक्स बिंडोस के अंतर्गत कार्यरत वातावरण में एम०एस० ऑफिस / लोटस / स्मार्ट सूट आदि जैसे भिन्न-भिन्न सॉफ्टवेयरों पर अँग्रेजी एवं हिन्दी में डाटा इंट्री का अच्छा ज्ञान तथा किसी नेटवर्किंग आपरेटिव सिस्टम के वातावरण का एक्सपोजर। (3) हिन्दी तथा अँग्रेजी में कम से कम क्रमशः 25 तथा 40 शब्द प्रति मिनट की गति।

- 9- <u>अधिमानी अर्हता</u>:- उपर्युक्त पदों के लिए अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, जिसने:-
  - 1- प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या
  - 2- राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
- 10- आयु सीमा :- :- आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई 2016 है और उक्त तिथि को अभ्यर्थी की आयु उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित पद के सम्मुख अंकित आयुसीमा के अंतर्गत हो। जिन पदों हेतु आयु 18 से 40 वर्ष निर्धारित है, ऐसे पदों के लिए अभ्यर्थी ने 01 जुलाई 2016 (01-07-2016) को 18 वर्ष की आयु अवश्य प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो अर्थात उसका जन्म 02 जुलाई 1976 से पूर्व तथा 01 जुलाई 1998 के बाद न हुआ हो और जिन पदों हेतु आयु 21 से 40 वर्ष निर्धारित है, ऐसे पदों के लिए अभ्यर्थी ने 01 जुलाई 2016 (01-07-2016) को 21 वर्ष की आयु अवश्य प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो अर्थात उसका जन्म 02 जुलाई 1976 से पूर्व तथा 01 जुलाई 1995 के बाद न हुआ हो।
- (1)- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणी, के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हो। शासनादेश दिनांक 28.11.1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को 5 वर्ष की छुट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम

आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट 01 जुलाई 2016 को इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में से घटा कर, परिणामस्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु से 03 वर्ष से अधिक न हो। आवेदन की अंतिम तिथि तक सेना से मुक्त होना अनिवार्य है।

- (2)- समाज के विकलाँगजनों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यतन, नवीनतम विद्यमान शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।
- 11- आरक्षण- उ० प्र० की अनुस्चित जातियों / उ० प्र० की अनुस्चित जनजातियों, उ० प्र०के अन्य पिछड़े वर्गों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों यथा उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/ विकलांगजनों(केवल चिन्हित पदों के सापेक्ष कोटा बनने पर)/ भूतपूर्व सैनिक, उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

नोट- आरक्षण / आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट -8 में मुद्रित तथा वैबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जो आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा आवेदन की तिथि तक जारी किया गया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब वे आयोग को प्रस्तुत करें।

- 12 च्यन का आधार- लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार है। प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015 अधिसूचना दिनांक 11 मई, 2015 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत सीधी भर्ती की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, लिखित परीक्षा / साक्षात्कार के अंक वही होंगे, जो राज्य सरकार के अनुमोदन से आयोग द्वारा निर्धारित किए जायेंगे। कम्प्यूटर ऑपरेटर के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की तिथि तथा परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा।
- 13- वरीयता- अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय विभागों के संबंध में वरीयता देनी होगी। आयोग, अभ्यर्थियों की प्रवीणता क्रम में जैसा कि अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और आयोग साक्षात्कार के समय पद की उपलब्धता, श्रेष्ठता व पद की शैक्षिक अर्हता का संज्ञान लेते हुए उपर्युक्त विभागों में अभ्यर्थियों द्वारा दी गयी वरीयता के आधार पर यथा संभव विभाग आवंटित करने का प्रयास करेगा किन्तु इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

### 14- अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश-

- (1) उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।
- (2) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी दी जाएगी।
- (3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / भूतपूर्व सैनिक, विकलांगजन तथा महिला अभ्यर्थियों को, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ

अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रभाण पत्र ही मान्य होगा।

- (4) वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक, विकलांगजत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अद्यावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्मत प्रमाण पत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा एतदर्थ किया गया दावा स्वीकार नहीं होगा।
- (5) उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पृत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।
- (6) उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।
- (7) ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ प्रस्तुत प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण ) अधिनियम, 1993 यथा संशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिमांक 21 अप्रैल, 2015 के साथ संलग्न प्रारूप पर तथा यह कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश के अधिवासी है या फिर वह तथा अभ्यर्थी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का (1) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) अथवा (2) पौत्र अर्थात (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) या पौत्री अर्थात (पुत्र की पुत्री का पुत्री) विवाहित या अविवाहित हैं।
- (8) ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते हैं, उन्हे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र, कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-18/1/2008-का-2-2008, दिनांक 03 फरवरी 2008 में निर्धारित प्रारूप पर तथा यह कि उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की विकलांगता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।
- (9) जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं, वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें जिसे मांगे जाने पर आयोग को प्रस्तुत करना होगा, प्रारम्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, परंतु इस आधार पर विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों को कालबाधित माना जाएगा।
- (10) राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ० प्र० शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 2-ई.एम. /2001-का-4-2013, दिनांक 27 अगस्त,2013 के अनुसार अधिकतम आयुसीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

- (11) ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे। बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।
- (12) अभ्यर्थी के अई / अनई होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- (13) एक से अधिक क्षैतिज आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी, दी जाएगी।
- (14) चयनित महिलाओं, उ०प्र०स्वंतत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों तथा विकलांगजन को (केवल चिन्हित पदों के सापेक्ष कोटा बनने पर) आरक्षण अधिनियम 1993 यथा संशोधित में विद्यमान नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनसे वे संबन्धित हैं।
- (15) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वंतत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, महिला अभ्यर्थियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा विकलांगजन, को जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं हैं, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के माने जायेंगे। महिला अभ्यर्थिनियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
- (16) आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को उपर्युक्त बिन्दु-7 की सारणी-1 में उल्लिखित पदों के सापेक्ष बिन्द्-8 में विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए।

### 15- अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश -

- 1- किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्चगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है।
- 2- ऑनलाइन आवेदन "सबिमेट" हो जाने के पश्चात आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि, जेंडर (लिंग) आदि में परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। अतः रिजस्ट्रेशन करते समय व आवेदन सबिमेट करते समय सभी सूचनाएँ सही-सही भरें। गलत जेंडर (लिंग) भरने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अतः गलत जेंडर (लिंग) न भरें। ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदक द्वारा भरी गयी सूचनाएँ अंतिम हैं, इसमें आयोग द्वारा संशोधन किया जाना संभव नहीं है।
- 3- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी । जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा ।
- 4- आयु एव शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा।

- 5- परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के संबंध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
- 6- जो अभ्यर्थी कालांतर में अई नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- 7- आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर आवेदन "सबमिट" नहीं होगा।
- 8- निर्धारित साइज़ की फोटो अपलोड न करने तथा निर्धारित स्थान पर स्पष्ट हस्ताक्षर न करने अथवा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न करने पर अभ्यर्थियों का आवेदन तथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा ।
- 9- आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबंधिक प्रवेश देगा,

  किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अई नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक
  स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था,उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि

  नियुक्ति हेतु संस्तुति भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
- 10- कदाशय अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीमता, दुर्व्यवहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अबहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित किया जा सकता है।
- 11- नियुक्त हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।
- 12- ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन "सबसिट" करने की अंतिम तिथि तक वांछित अनिवार्य अर्हता नहीं रखते हैं, वे इस परीक्षा में आवेदन न करें क्योंकि वे पात्र नहीं हैं। उनका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं होगा।
- 13- आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए उन्हे विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जाए कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह हैं।
- 14- िकसी अनाचार/कदाचार, िकसी महत्वपूर्ण सूचना को छुपाने, अभियोजन/ अपराधिक बाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों के गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन / चयन के संबंध में सिफ़ारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित करने का अधिकार आयोग का होगा।
- 15- यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष नंबर 0522-2720814 द्वारा अथवा वैबसाइट पर कांटैक्ट-अस से अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

16- ऑनलाइन आवेदन शुल्क / परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 04.01.2017 तथा आवेदन स्वीकार "सबिमट" किए जाने की अंतिम तिथि 06.01.2017 है।

सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।

### **Detailed Application Form:**

At the top of the page there is a declaration for the candidates are advised to go through the content of the declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the content of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree 'buttons. In case the candidate opts to disagree the application will be dropped and procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's On-Line Application.

### **Notification Details:**

This section shows information relevant to Notification.

### **Personal Details**

This section show information about candidate personal details i.e. Registration Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital Status, email ID and contact number.

### Other Details of candidate

Other Details of candidate shows the information about UP Freedom Fighter, Ex-Army service duration and physical deformity.

### **Education & experience Details**

It shows education and experience details of the candidate.

Candidate address, photo & signature details

It shows communication address and photo with signature of the candidate.

### **Declaration segment**

At the bottom of the page there is a "Declaration" for the candidates. Candidates are advised to go through the content of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview candidates detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.

Preview page will display all facts/Particulars that the candidates have mentioned on entry time. If they are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that they can print.

Otherwise using "Back" button the details can be modified.

# (CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "PRINT" OPTION AVAILABLE)

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home page' of commission's website <a href="http://upsssc.gov.in">http://upsssc.gov.in</a>
CANDIDATE SEGMENT.

ANDIDATE SEGMENT
LL Notification/Advertisements
andidate Registration (First Stage)
andidate E-Challan/I-Collect (Second Stage)
ubmit Application Form (Third Stage)
Tiew Application Status
ist of Applications Having Photo related Objections
Download form for Eligibility Checking
Oownload Interview Letter
Ouplicate Registration Slip & Application form
Oownload syllabus
A COMPANY POR DESCRIPTION OF ADDITION OF A COMPANY OF A C

 LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATION: On-line - Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

### परिशिष्ट-8

# प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीभागी / कुमारे विवासी पान जाति के लिए जाति प्रमाण—पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीभागी / कुमारे विवासी पान व्यवस्थित जाते आरोग प्रकार किया है किया श्रीभाग जाता है किया है किये अधिकान (अनुस्थित जाते) आरोग 1990 (तीय कि समय समय) पर संगोणित हुआ) / ग्रीस्थान (अनुस्थित जाते) आरोग 1990 (तीय कि समय समय) पर संगोणित हुआ) / ग्रीस्थान (अनुस्थित जाते) आरोग 1990 (तीय कि समय समय) पर संगोणित हुआ) / ग्रीस्थान (अनुस्थित जाते) आरोग 1990 (तीय कि समय समय) पर संगोणित हुआ) / ग्रीस्थान (अनुस्थित जाते) आरोग प्रमाण प्रवास करता श्री किया प्रमाण प्रवास करता श्री किया प्रमाण प्रवास करता है। प्रमाण स्थास करता है। प्रमाण स्थास करता है। प्रमाण स्थास करता है। प्रमाण स्थास करता है। अभागिता किया जाता है कि श्री श्रीसानी / कुमारे प्रमाण स्थास करता अपना अधिकार (अनुस्थित जाता समय कराया अधिकार) अपने समय समय समय अध्यस अधिकार (अनुस्थित जाता समय कराया अधिकार) अपने समय समय समय सम्भाण स्थास करता समय सम्भाण सम्

जिलाधिकारी/असिरिक्स जिलासिकारी/सिटी मंजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/सस्तीशकार

### <u>ज्वप्रव के विकलांगों के लिये प्रमाण-पत्र</u>

### CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.

recommended/is recommended after a period of	NAME &	ADDRES	S OF TH	IE INSTITUTE/HOSPITAL			
This is certified that Shri/SmL/Kum 309.  Son/Wite/Daughter of Shri 309.  Liconification mark (S) ta sulficing from permanent disability of following category:  A Liconmotor of serebbal paisty:  (i) BL-Both legs affected but not arms:  (ii) BA-Both arms affected (a) impaired reach (b) Weakness of grip  (iii) BL-Both legs and both arms affected (iv) OL-One leg affected (right or left)  (ii) OL-One leg affected (right or left)  (ii) Veakness of grip  (ii) Alaxid  (iv) OA-One arm affected (a) impaired reach  (iv) OA-One arm affected (a) impaired paired of stoop)  (iv) BH-Silf back and hips (Cannot sit or stoop)  (iv) BH-Silf back and hips (Cannot sit or stoop)  (iv) BH-Silf back and hips (Cannot sit or stoop)  (iv) BH-Silf back and hips (Cannot sit or stoop)  (iv) BH-Silf back and hips (Cannot sit or stoop)  (iv) BH-Silf back and hips (Cannot sit or stoop)  (iv) BH-Silf back and hips (Cannot sit or stoop)  (iv) BH-Silf back and make a feet of stoop or stoop or stoop of stoop or stoop of stoop or sto	Certifical	e No					
Sont identification mark (S) a sufficing from permanent disability of following category:  A Locomotor of exrebral palay:  (i) BL-Both legs affected but not arms.  (ii) BA-Both arms affected  (a) Impaired reach  (b) Weekness of grip  (iii) BL-Both legs and both arms affected  (v) OL-One leg affected (right or left)  (a) Inspaired reach  (b) Weakness of grip  (c) Attack  (v) OA-One arm affected  (a) Impaired reach  (b) Weakness of grip  (c) Attack  (v) OA-One arm affected  (a) Impaired reach  (b) Weakness of grip  (c) Attack  (vi) BH-Stift back and hips (Cannot sit or stoop)  (vii) MW-Musculer weakness and limited physical endurance.  B Stindness or Low Vision:  (i) B-Blind  (ii) PB-Partially Blind  C. Hearing Impairment:  (i) D-Osal  (ii) PB-Partially Deaf  (Delete the category whichever is not applicable)  2. The condition is progressive/inon-progressive/likely to improve mot likely to improve. Re-assessin of this case is not recommendator's recommended after a particle of mouths.  3. Percentage of disability in his/her case is	DISABIL	ITY CER	TIFICATI				
Sax telentification mark (S) ta sufficing from permanent disability of following category:  (i) BL-Both legs affected but not arms.  (ii) BA-Both arms affected  (iii) BL-Both legs and both arms affected  (iv) OL-One leg affected (right or left)  (ii) Impaired reach  (b) Weakness of grip  (c) Alasic  (v) OA-One arm affected  (a) Impaired seach  (b) Weakness of grip  (c) Alasic  (v) OA-One arm affected  (a) Impaired seach  (b) Weakness of grip  (c) Alasic  (v) BH-Siff beak and hips (Cannot sit or stoop)  (vii) MY-Miscouler weakness and limited physical endurance.  B. Blindess or Low Vision.  (i) B-Bind  (ii) PB-Partially Blind  G. Hearing Impairment:  (i) D-Deaf  (ii) PD-Partially Deaf  (Cellet the category whichever is not applicable)  2. This condition is progressave/inco-progressave/likely to improve /not likely to improve. Re-assessor of this case is not recommended/is recommended after a period of		This is	certified t	nat Shri/Smt/Kum	my salans ( plan ha ( play )		
following category.  A Locomotor of cerebral palay:  (i) BL-Both lags affected but not arms.  (ii) BA-Both arms affected  (iii) Hab-Both legs and both arms affected  (iv) OL-One leg affected (right or left)  (ii) Uveakness of grip  (iii) Uveakness of grip  (iii) Neakness of grip  (iii) Neakness of grip  (iii) Alaxic  (iv) OA-One arm affected  (iii) Imparted reach  (iv) OA-One arm affected  (iii) Imparted reach  (iv) OA-One arm affected  (iii) Mark-Muscular weakness and limited physical endurance.  B. Blindoess or Low Vision.  (ii) B-Bind  (iii) PB-Partially Blind  C. Hearing Impalment:  (i) D-Deaf  (ii) PB-Partially Deaf  (Delete the category whichever is not applicable)  2. This condition is progressave/non-progressave/likely to improve froot likely to improve. Re-assessa of this case is not recommended after a period of							
A Locomotor of cerebral palay:  (i) BL-Both legs affected but not arms.  (ii) BA-Both arms affected  (iii) BIA-Both legs and both arms affected  (iv) OL-One leg affected (right or left)  (iii) BIA-Both legs and both arms affected  (iv) OL-One leg affected (right or left)  (i) Weakness of grip  (i) Madic  (v) OA-One arm affected  (a) Impaired reach  (b) Weakness of grip  (c) Ataxic  (v) OA-One arm affected  (a) Impaired seach  (b) Weakness of grip  (c) Ataxic  (vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stoop)  (vii) MW-Musculer weakness and limited physical endurance.  8 Silindness or Low Vision  (i) B-Blind  (ii) PB-Partialy Blind  C. Hearing Impairment:  (i) D-Deaf  (iii) PB-Partialy Deaf  (Delete the category whichever is not applicable)  2 This condition is progressave/non-progressave/likely to improve mot likely to improve. Re-assessan of this case is not recommended after a period of year mornine.  3 Percentage of disability in higher case is such as the commended after a period of period of the case is not recommended. The period of the case is not recommended after a period of the case is not recommended after a period of the period of the case is not recommended after a period of the case is not recommended after a period of the case is not recommended. The progressave/likely to improve most likely to improve. Re-assessan of this case is not recommended after a period of the case is not recommended after a period of the case is not recommended after a period of the case is not recommended after a period of the case is not recommended after a period of the period of the case is not recommended after a period of the case is not recommended after a period of the case is not recommended after a period of the case is not recommended after a period of the case is not recommended after a period of the case is not recommended after a period of the case is not recommended after a period of the case is not recommended after a period of the case is not recommended after a period of the case is not recommended afte				identification mark (S)	742.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Is suffering from pe	rmanent disability of
(i) BL-Both legs affected but not arms. (ii) BA-Both arms affected (iii) Impaired reach (iv) OL-One leg affected (right or left) (iv) OL-One leg affected (right or left) (iv) OL-One leg affected (right or left) (iv) OA-One arm affected (iv) Weakness of grip (iv) Atlastic (iv) OA-One arm affected (iv) Weakness of grip (iv) Atlastic (iv) BH-Stiff back and hijes (Cannot sit or stoop) (ivi) MNV-Muscular weakness and limited physical endurance.  B. Blindoess or Low Vision (iv) B-Bind (iv) PB-Partially Blinic (iv) PB-Partially Blinic (iv) PB-Partially Deaf (iv) Collete the category whichever as not applicable) (iv) Collete the category whichever as not applicable) (iv) Collete the category whichever as not applicable) (iv) Romerous of disability in histher case is summer and applicable) (iv) Romaniage of disability in histher case is summer and applicable) (iv) F-can perform work by maniputaling with figers Yea/No (iv) F-can perform work by maniputaling with figers Yea/No (iv) R-can perform work by histing Yea/No (iv) R-can perform work by histing Yea/No (iv) R-can perform work by bending and couching Yea/No (iv) S-can perform work by silting. Yea/No (iv) S-can perform work by silting. Yea/No		reil.	맞았다	rebral palsy:			
(ii) BA Both arms affected (g) Impaired reach (b) Weekness of grip (iii) BLA-Both legs and both arms affected (v) OL-One leg affected (right or left) (a) Impaired reach (b) Weekness of grip (c) Alaxic (v) OA-One arm affected (a) Impaired reach (b) Weekness of grip (c) Alaxic (v) DA-Station (c) Alaxic (v) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stoop) (vii) Mity-Micsotier weekness and limited physical endurance.  B. Blindness or Low Vision: (i) B-Blind (ii) PP-Partially Blind (iii) PP-Partially Blind C. Hearing Impairment: (i) D-Def (iii) PD-Partially Deaf (iii) PD-Partially Deaf (iii) PD-Partially Deaf (iii) Po-Partially Deaf (iii) P-Partially Deaf (iiii) P-Partially Deaf (iii) P-Partially Deaf (iiii) P-Partially Deaf (iiii) P-Partially Deaf (ii							
(a) Impaired reach (b) Weekness of grip  (iii) BLA-Both legs and both arms affected (iv) OL-One leg affected (right for left)  (a) Impaired reach (b) Weekness of grip (c) Alaxic (v) OA-One arm affected (a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) Alaxic (v) DA-One arm affected (a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) Alaxic (vi) EH-Stiff back and hips (Cannot sit or stoop) (vii) MW-Musculer weakness and limited physical endurance.  B. Blindoess or Low Vision: (i) B-Blind (ii) PB-Partialy Blind (ii) PB-Partialy Blind (ii) PB-Partialy Blind (ii) PD-Partialy Deef (Celete the category whichever is not applicable)  2. This condition is progressive/inon-progressive/likely to improve /not likely to improve. Re-assessin of this case is not recommended/s recommended after a pashod of year months.  3. Percentage of disability in his/her case is percent.  4. Sit,/Smt./Kum. perform work by manipulating with figers. Yea/No (ii) F-can perform work by manipulating with figers. Yea/No (iii) KC-can perform work by kneeling and couching. Yea/No (vi) S-can perform work by kneeling and couching. Yea/No (vi) S-can perform work by stiting. Yea/No							
(ii) BLA-Both legs and both arms affected (iv) OL-One leg affected (right or left)  (a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) Alaxic (y) OA-One arm affected (a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) Ataxic (v) Weakness of grip (d) Ataxic (vi) EH-Stiff back and hips (Cannot all or stoop) (vii) MW-Musculer weakness and limited physical endurance.  B. Billindoess or Low Vision. (i) B-Brantaly Billind (ii) PB-Partialy Billind (c) Hearing Impalment: (i) D-Deaf (iii) PD-Partialy Deaf (Delete the category whichaver is not applicable)  2. This condition is progressive/hon-progressive/likely to improve and likely to improve. Re-assess of this case is not recommended after a period of year months.  3. Percentage of disability in his/her case is period of year months.  4. Sh,/Smt,/Kum. meets the following physical requirements discharge of his/her duffes: (i) F-can perform work by menipulating with figers. Yea/No (iii) PP-can perform work by stifting. Yea/No (v) S-can perform work by kneeting and couching. Yea/No (v) S-can perform work by sheeting and couching. Yea/No (vi) S-can perform work by sheeting and couching. Yea/No (vi) S-can perform work by shitting. Yea/No			(8)	Impaired reach			
(iv) OL-One leg affacted (right or left)  (a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) Alaxic (y) OA-One arm affected (a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) Alaxic (v) OA-One arm affected (a) Impaired reach (b) Weakness of grip (d) Alaxid (vi) EH-Slift back and hips (Cannot'alt or stoop) (vii) MW-Musculer weakness and limited physical endurance.  B. Blindness or Low Vision. (i) B-Blind (ii) PB-Partially Blind C. Hearing Impairment: (i) D-Deaf (B) FD-Partially Deaf (Celete the category whichever is not applicable) 2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve mot likely to improve. Re-assessn of this case is not recommended/is recommended after a period of				Weakness of grip			
(iv) OL-One leg affacted (right or left)  (a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) Alaxic (y) OA-One arm affected (a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) Alaxic (v) OA-One arm affected (a) Impaired reach (b) Weakness of grip (d) Alaxid (vi) EH-Slift back and hips (Cannot'alt or stoop) (vii) MW-Musculer weakness and limited physical endurance.  B. Blindness or Low Vision. (i) B-Blind (ii) PB-Partially Blind C. Hearing Impairment: (i) D-Deaf (B) FD-Partially Deaf (Celete the category whichever is not applicable) 2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve mot likely to improve. Re-assessn of this case is not recommended/is recommended after a period of		(IH)	BLA-E	oth legs and both arms affected			
(b) Weakness of grip (c) Alaxic (y) OA-One arm affected (a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) Alaxic (c) Weakness of grip (d) Alaxic (vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sk or stoop) (vii) MW-Musculer weakness and limited physical endurance.  B. Blindness or Low Vision: (i) B-Blind (i) B-Pa-paritally Blind (ii) B-Pa-paritally Blind (c) Hearing impaliment: (i) D-Deaf (iii) PD-Partially Deaf (Delete the calegory whichever is not applicable) 2. This condition is progressave/inon-progressave/likely to improve /not likely to improve. Re-assess of this case is not recommended/is recommended after a period of		(iy)		Mirel weilt wicker in deutste siel it welch Wi			
(c) Alaxic (y) CA-One arm affected  (a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) Ataxic  (vi) EH-Stiff back and hips (Cannot sit or stoop)  (vii) MW-Muscular weakness and limited physical endurance  8. Bitindness or Low Vision: (i) B-Blind (ii) PB-Partially Blind  C. Hearing Impairment: (i) D-Deaf (Delete the calegory whichever is not applicable)  2. This condition is progressave/non-progressave/likely to improve /not likely to improve. Re-assessn of this case is not recommended after a period of			(a)	Impaired reach			
(v) CA-One arm affected  (a) Impaired reach  (b) Weakness of gifp  (c) Ataxic  (vi) EH-Stiff track and hips (Cannot sit or stoop)  (vii) M/W-Muscujer weakness and limited physical endurance.  B. Blindness or Low Vision:  (i) B-Blind  (ii) PB-Partialy Blind  C. Hearing Impairment:  (i) D-Deaf  (iii) PD-Partialy Deaf  (Delete the category whichever is not applicable)  2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve /not likely to improve. Re-assess of this case is not recommended/is recommended after a period of			(b)	Weakness of grip			
(a) Impaired reach (b) Weakness of gits (c) Ataxio (vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stoop) (vii) MW-Musculer weakness and limited physical endurance.  B. Blindness or Low Vision: (i) B-Bind (ii) PB-Partialy Blind  C. Hearing Impairment: (i) D-Deaf (iii) PD-Partialy Deaf (Delate the category whichever is not applicable)  This condition is progressive/inon-progressive/likely to improve (not likely to improve. Re-assess of this case is not recommended/is recommended after a period of year months.  3. Percentage of disability in his/her case is period.  4. Sh/Smt./Kum. meets the following physical requirements discharge of his/her dulles: (i) F-can perform work by manipulating with figers. Yea/No (ii) PP-can perform work by pulling and pushing Yea/No (iii) L-can perform work by hifting Yea/No (iv) KC-can perform work by bending Yea/No (v) B-can perform work by stiting. Yea/No (vi) S-can perform work by stiting. Yea/No			(c)	Alaxic			
(a) Impaired reach (b) Weakness of gitlo (c) Attaxio (vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stoop) (vii) MW-Musculer weakness and limited physical endurance.  B. Blindness or Low Vision: (i) B-Blind (ii) PB-Partially Blind  C. Hearing Impairment: (i) D-Deaf (iii) PD-Partially Deaf (Delate the category whichever is not applicable)  This condition is progressive/mon-progressive/likely to improve (not likely to improve. Re-assessin of this case is not recommended/is recommended after a period of		(v)	OA-O	ne ann affecled			
(vi) EH-Sulf back and hips (Cannot six or steep) (vii) MW-Muscular weakness and limited physical endurance.  B. Bilindness or Low Vision. (i) B-Blind (ii) PB-Partialy Blind C. Hearing Impairment. (i) D-Deaf (iii) PD-Partialy Deaf (Delete the category whichever is not applicable) 2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve (not likely to improve. Re-assessin of this case is not recommended after a period of year months.  3. Percentage of disability in his/her case is percent. 4. Sh./Smt./Kum, meets the following physical requirements discharge of his/her duties. (i) F-can perform work by manipulating with figurs. Yea/No (ii) PP-can perform work by pulling and pushing Yea/No (iii) L-can perform work by kneeting and couching. Yea/No (iv) B-can perform work by kneeting and couching. Yea/No (v) B-can perform work by sending. Yea/No (vi) S-can perform work by sitting. Yea/No			(a)	Impaired reach			
(vi) BH-Sulf back and hips (Cannot st or stoep) (vii) MW-Muscular weakness and limited physical endurance.  B. Blindness or Low Vision. (i) B-Bind (ii) PB-Partialy Blind C. Hearing Impairment. (i) D-Deaf (iii) PD-Partialy Deaf (Delete the category whichever is not applicable) 2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve (not likely to improve. Re-assessin of this case is not recommended is recommended after a period of year months.  3. Percentage of disability in his/her case is percent. 4. Sh./Smt./Kum, meets the following physical requirements discharge of his/her duties. (i) F-can perform work by manipulating with figurs. Yea/No (ii) PP-can perform work by pulling and pushing Yea/No (iii) L-can perform work by kneeting and couching. Yea/No (iv) B-can perform work by kneeting and couching. Yea/No (vi) B-can perform work by sitting. Yea/No			(b)	Weakness of grip			
(vii) MW-Musculer weakness and limited physical endurance  B. Blindness or Low Vision:  (i) B-Blind  (ii) PB-Partialy Blind  C. Hearing Impairment:  (i) D-Deaf  (iii) PD-Partialy Deaf  (Delete the category whichever is not applicable)  2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve /not likely to improve. Re-assessn of this case is not recommended/is recommended after a period of year months.  3. Percentage of disability in his/her case is percent.  4. Sit./Smt./Kum, meets the following physical requirements discharge of his/her duties:  (i) F-can perform work by manipulating with figers. Yea/No  (ii) PP-can perform work by pulling and pushing Yea/No  (iii) L-can perform work by kneeting and couching. Yea/No  (iv) S-can perform work by kneeting and couching. Yea/No  (vi) S-can perform work by slitting. Yea/No			(c)	Ataxic			
B Blindness or Low Vision:  (i) B-Blind  (ii) PB-Partially Blind  G. Hearing Impairment:  (i) D-Deaf  (iii) PD-Partially Deaf  (Delete the category whichever is not applicable)  2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve /not likely to improve. Re-assessin of this case is not recommended/is recommended after a period of		(W)	BH-S	tiff back and hips (Cannot sit or st	oob)		
(i) PB-Partialy Blind (ii) PB-Partialy Blind C. Hearing Impairment: (i) D-Deaf (iii) PD-Partialy Deaf (Delete the calegory whichever is not applicable) 2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve (not likely to improve. Re-assessn of this case is not recommended/is recommended after a particle of		(VII)	MW-	Nusculer weakness and limited ph	ysical endurance.		
(ii) PB-Partialy Blind  C. Hearing Impairment:  (i) D-Deaf  (ii) PD-Partialy Deaf  (Delete the category whichever is not applicable)  2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve /not likely to improve. Re-assessin of this case is not recommended/is recommended after a period of	8.	Blindo	ess or Lo	w Vision:			
C. Hearing Impalment.  (i) D-Deaf  (ii) PD-Partially Deaf  (Delete the category whichever is not applicable)  2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve /not likely to improve. Re-assessin of this case is not recommended/is recommended after a period of		0	<b>8-8</b> h	1 <b>d</b>			
(ii) PD-Partially Deaf (iii) PD-Partially Deaf (Delete the calegory whichever is not applicable)  2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve /not likely to improve. Re-assessn of this case is not recommended/is recommended after a period of		Øħ	РВ-Р	artialy Biland			
(B) PD-Partially Deaf  (Delete the category whichever is not applicable)  2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve /not likely to improve. Re-assessin of this case is not recommended/is recommended after a period of	C,	Hearin	ıg Impain	nent:			
(Delete the calegory whichever is not applicable)  2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve /not likely to improve. Re-assessin of this case is not recommended/is recommended after a period of		(1)	D-De	af			
This condition is progressive/non-progressive/likely to improve /not likely to improve. Re-assess of this case is not recommended/is recommended after a period of		<b>(B</b> )	PD-F	artialy Deaf			
recommended/is recommended after a period of							
A Sh./Smt./Kum	2. гесопп	This c	ondition s recomm	s progressive/non-progressive/ik ended after a period of	ely to improve /not likel	y to improve. Re-asse year	ssn of this case is not months.
Nisher dulies:  (i) F-can perform work by manipulating with figers. Yea/No  (ii) PP-can perform work by pulling and pushing Yea/No  (iii) L-can perform work by lifting Yea/No  (iv) KC-can perform work by kneeting and couching. Yea/No  (v) B-can perform work by bending. Yea/No  (vi) S-can perform work by sitting. Yea/No	3	Perce	ntage of	AND THE PARTY OF T	A 1 A 2 B 2 C A 2 C C C C C C C C C C C C C C C C	Maria Maria di Maria da Maria	
(i) F-can perform work by manipulating with figers. Yes/No (ii) PP-can perform work by pulling and pushing Yes/No (iii) L-can perform work by lifting Yes/No (iv) KC-can perform work by kneeting and couching. Yes/No (v) B-can perform work by bending. Yes/No (vi) S-can perform work by sitting. Yes/No			mt./Kum.		meets the fol	lowing physical requi	rements discharge of
(ii) PP-can perform work by pulling and pushing Yes/No (iii) L-can perform work by lifting Yes/No (iv) KC-can perform work by kneeling and couching Yes/No (v) B-can perform work by bending. Yes/No (vi) S-can perform work by sitting. Yes/No		arani e a			VoolNa		
(iii) L-can perform work by lifting Yes/No (iv) KC-can perform work by kneeling and couching Yes/No (v) B-can perform work by bending. Yes/No (vi) S-can perform work by sitting. Yes/No		아시시간					
(iv) KC-can perform work by kneeling and couching. Yes/No (v) B-can perform work by bending. Yes/No (vi) S-can perform work by sitting. Yes/No							
(v) B-can perform work by bending. Yes/No (vi) S-can perform work by sliting. Yes/No							
(vi) S-can perform work by sitting. Yes/No							
		V.)) - G. (400)					
on the section will be considered. You have been seen as the section of the secti					YesiNo		
(ix) SE-can perform work by seeing. Yes/No (x) H-can perform work by hearing/speaking. Yes/No							

(Or)	(Dr)	(Or)
Member	:Member	Chairperson
Medical Board	Medical Board	Medical Board
		Countersigned by the
		Medical Superintendent
		СМОЛНО
		Hospital (with seal)
Strike out which is not applicable.		
	वितंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रम	<del>a de la compagnia de la Carlo de La Carlo de La Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de Carlo de</del>
प्रभागत किया जाता है कि औ <i>र</i> श्रीम तुरुतील	तो / कुमारी	ग्राम उत्तर प्रदेश
लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकास) उत्तरिक । सेनानी हैं और औं/श्रीमसी/कृमरी (अध्यत)	संप्रात सेनानियों के आधित और बृतपूर्व सैंगिक के दिए आवक्षणे 	अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम /अविदाहित उपराक्तित अधिनियम 1983 के ही
हस्ताहर		पुरा नाम
Refer		जिलाधिकारी
	with Armin I blood on the united in william this will realize in a	साल
कुशल खिब	ताड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उठप्र0 के मूल नि	<u>खासी हैं</u>
JAN 1	ग्रदेश संख्या-22/21/1985-कार्मिक-2 दिनांक 25 नवन्दर, <del>19</del> 8	5
	प्रमाण-प्रज में फार्ग — 1 से 4	
	प्राक्त १	
	। में अपने पैटर की ओर से अन्तार्शकीय प्रक्रियोगिता में मान सेने र	
नियक्ति के लिए करात सिताअयों के लिए प्रमाण	(शब्द्रीय एपोसिएसत का नाम -पत्र	vije ovikljigi i previde, kijer (regresere) i paljeljeni
प्रमाणित किया जाता है कि औं/औप	ती/शामण/ आस्पज/बस्ती/आस्पज श्री दिनाक से दिनांक तक क्रीडा/खेल-कृद का नाय) की प्रतियोगिता/दूर्भांभट में रेश की	विवासी
्राय पात	दिमारा तर कोडा/ खेल-कर का नाया को प्रतियोगिता / टर्मामस्ट में देश की	्राप्त के नाम् हे
	स्थान प्राप्त किया गया।	
	ट्टीय ऐसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये)	में रापसध पिकार से
आधार पर दिया ग्रमा है।		
स्थान		SMIST
दिनाल		नामः (managaritima anggariti transporta barangari
		<b>97</b>
		संस्था का उपन
		761
नोटः यह प्रमाण-पत्र नेशनल फंडरेशम्/नेशनल ऐ	सोसिएसन के संविव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हसाक्षर	होने पर ही जान्य होगा।

### प्रारूप-2

	ी ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिया में माग तेने वाले खि	DEBUGGE EN DE STOLES EN DE LA CONTROPE SENSE DE REGIONE DE LA CONTROPE SENSE DE LA CONTROPE S
सम्बरिधन खेल की प्रदेशीय एसोझिएशन वय नाम) ताहियों के लिये प्रमण-पत्र		
uषित किया जाता है कि भी/भोतती/कृतारी ते दिनांक से दिनांक त अयोजित सादीय में उनते टीम के द्वारा	क में फ़िलि (अल-सप का नाम) की प्रतियोगिता (	ट्रनमेन्ट स्थान का नाम
प्रमाल-एउ (प्रदेशीय संघ का माम) में सपलस्य		
III (milya-jeniya nyayan nyayan n	इन्स् <b>य</b>	<b>II</b>
<b>ांध</b>		
	197F)	का जान
	पत	
	<b>987</b>	Salah Dari Bayara Halifa Aya ka
टः ग्रहः प्रक्षण-पत्रः प्रदेशीय खेल-कृदः संघ के संविधः द्वारः व्यक्तिग		
	TIPPY-3	
(मान्यता प्राप्त क्रीका∕ खेल में अपने विकासिधालय व	eranau, investigas — lessase aeries a reviet e reliente reviet e reviet e investigation de la company de la co	
विश्वविद्यालयः का नामः	राज्य सार की संवाओं / पदी पर नियुक्त के लि	ये कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र
त्रपित किया जाता है कि श्री/भीमती/नुमारी में विचारिक्षात्म्य की कवा (स्थान का नाग) ने आयोजिल अन्तरिक्षविद्यात्म्य		निवास (पूरा देनांक हरू
्रियान का नागी ने आयोजित अन्तविष्यविद्यालय , विरविद्यालय को आर से भाग तिया। उनके टीप के द्वारा पर न औंक स्पोर्टन अथवा इंबार्स खेल खुद ्विस्	O MOSHINGIA CAIRC A "	स्थान प्राप्त किया वया। वह प्रमाण-४३
<b>7</b>		<b>U</b>
<b>Jg</b>		
		१ का नाम
		6. T. C.
c. यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज	Left die Albadie WAR is in Nacht Beschiebter Wieder Ab was	BINNER PROGRAM SECTION OF SECTION
	प्रारूप⊶4	
	की ओर से शाष्ट्रीय खेल-खूद में भाग लेने बाले फि	
हाइरेक्ट्रेट आफ पम्लिक इन्स्ट्रगन्द/निदेशक, शिक्षा, तथे बुसल खिलाडियों के लिये प्रमाण-पत्र		
प्रनाणित किया जाता है कि मी/शीनती/ कुपारी में सकूत में प्रांत तक (पर	आस्प्र/पत्नी/आत्मपा श्री	निवासी (पूरा पता)
THE CONTRACTOR OF THE PROPERTY	प्रका नाम) है आयोजित स्कूलों के नेशनल प्रेम्स	जाक की
मैझ/खेल-क्द का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में 	स्कूल की ओर री भाग दिया। छन्छे	टीन के द्वारा एक्ट प्रशियोगिता/दूर्नामेन्ट
ड ग्रमण-पत्र डायरेक्ट्रेट ऑफ पॉब्लक इत्सट्टकान्स∕शिक्षा में छपत	😆 रिकार्ड वो अप्रधार पर दिया गया है।	
<b>15</b>	<b>१९५व</b>	মুক্
in	相符	·
	W.	inginne i i inggan propinsi py <del>aning nanguninga (pya)</del> ng p
	<b>yt</b> e	प्रकार चाम
	411	grafelianjasdigsteingripas i grys min viert amyrgingdiga.
		Takan da arawa a arawa
	o बाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रज्यान्स∕शिक्षा	a melangan darah kecamban dalah dalah Salah

पश्चित